न्यायालय उपखण्ड अधिकारी इटावा जिला कोटा राज०

अज अदालत उपखण्ड अधिकारी इटावा जिला कोटा

पीठासीन अधिकारी— हेमन्त कुमार घनघोर आर0ए0एस0

मिसल संख्या	तारीख दायरा	तारीख फैसला
12/2021	04/02/2021	30/1/26

रामरतन पुत्र श्री धन्नालाल आयु 32 जाति मीणा नि. आडागैला उर्फ हरिनगर तह0 पीपल्दा जि० कोटा (राज0)

वादी

बनाम

1.केदारलाल पुत्र श्री राम किशन
2.केला बाई पत्नी श्री धन्नालाल
3.गंगाराम पुत्र धन्नालाल
4.गिर्राज पुत्र पन्नालाल
5.ब्रजराज पुत्र श्री धन्नालाल
6. बद्रीलाल पुत्र श्री कालुलाल
7.मौसमीबाई पुत्र श्री धन्नालाल
8.रधुनाथी पत्नी रामकिमान
9.राधाबाई पत्नी धन्नालाल
10.रामेश्वर पुत्र रामकिशन
11. लेखराज पुत्र श्री धन्नालाल
12 सुनीता पत्नी धन्नालाल जाति मीणा निवासी अड़ागैला उर्फ हरिनगर पो० दीपरी चंबल तह पीपल्दा जि० कोटा (राज.)
13. राज० सरकार जरिये तहसील पीपल्दा जि० कोटा (राज.)

(प्रतिवादीगण)

वादी की ओर से उपस्थित अधिवक्ताः— श्री हरिमोहन मीणा एड0।
प्रतिवादीगण की ओर से उपस्थित अधिवक्ताः— एकतरफा।

<u>वाद अन्तर्गत धारा 88 आर.टी.एक्ट एवं दुरुस्ती बाबत</u>

<u>निर्णय</u>

प्रार्थी की ओर से प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करने आवेदन किया कि ग्राम अड़ागैला उर्फ हरिनगर पटवार हल्का डिपर चंबल भू.अभि. नि. क्षेत्र ढीपरी चंबल तहसील पीपल्दा जि. कोटा में खाता संख्या नया 33 पुराना 33 में हाल खासरा नं. 428 रकबा 3.43 है. नहरी प्रथम जमाबंदी संवत 2074 से 2077 स्थित है, इसी प्रकार ग्राम अड़ागैला पटवार क्षेत्र डिबरी चंबल भू.अभि. नि. क्षेत्र टीपी चंबल तहसील पीपल्दा जि० कोटा राज0 में संवत 2074 से 77 में खाता संख्या नया 32 पुराना 32 हाल खसरा नंबर 311 रकबा 0.04 है0 नहरी प्रथम खसरा नं. 351 रकबा 6.00 है. नहरी प्रथम खसरा नं. 525 की रकबा 3.65 है. कुल किता 3 की कुल रकबा 6.69 है० स्थित है, राजस्व रिकार्ड के मुताबिक वादी का नाम रामावतार पुत्र धन्नालाल दर्ज अंकित है,। राजस्व रिकॉर्ड में वादी का नाम रामावतार पुत्र धन्नालाल दर्ज अंकित है, जब कि पहचान पत्र, राशनकार्ड, भामाशाह कार्ड, आधार कार्ड, आदि में रामरतन पुत्र श्री धन्नालाल मीना दर्ज अंकित है, वादी रामरतन को गाँव में दो नाम जानते है, रामावतार व रामरतन राजस्व रिकार्ड में नाम रामावतार है, और पहचान पत्र, राशनकार्ड, आधारकार्ड व भामाशाह कार्ड, विद्यालय रिकार्ड में नाम रामरतन दर्ज अंकित है, इस प्रकार राजस्व रिकॉर्ड एवं अन्य दस्तावेज से नाम की भिन्नता होने के कारण वादी को सरकारी संस्था, बैंक, आदि से लोन लेने में असुविधा होती है ऑनलाईन जिंस विक्रय करने में भी असुविधा होती है, इसी वजह से वादी को वाद प्रस्तुत करने के लिए मजबूर होना पड़ा। प्रतिवादी 13 भूमि के लेण्डहोल्डर होने से, वाद प्रस्तुत होने से पूर्व विधिवत रूप से 80 सी.पी.सी. प्रावधानों के अन्तर्गत नोटिस दिया जाना आवश्यक है, लेकिन वाद आवश्यक प्रकृति का होने के कारण एवं समया भाव के कारण नोटिस दिया जाना संभव नहीं है, वाद प्रस्तुत से पूर्व

श्री मान को दफा 80(2) सी. पी. सी. के तहत निवेदन किया जायेगा। वादी ने दिनांक 25.1.2021 को हल्का पटवारी से राजस्व रिकार्ड की जानकारी लेने के कारण बाद कारण उत्पन्न हुआ। अतः वाद पत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया कि वाके माल ग्राम आडागेला उर्फ हरिनगर तह० पीपल्दा मे स्थित भूमि खसरा नं. 428 रकबा 3.43 है0 खसरा नं. 311 रकबा 0.04 है. 351 रकबा 6.00 है0 खसरा न.0 425 रकबा 3.65 है0 कुल किता 4 कुल रकबा 13.12 है०, के राजस्व रिकॉर्ड मे रामावतार के स्थान पर रतनलाल मीणा दर्ज अंकित किया जावे तथा उक्त डिक्री की प्रतिवादी नं. से पालना करवाई जाये।

वादी की ओर से वाद श्री हरिमोहन मीणा एड0 ने पेश किया। रिपोर्ट सरिस्ता का अवलोकन किया गया। वाद दर्ज रजि0 किया जाकर प्रतिवादीगण की तलबी जर्ये सम्मन की गई। प्रतिवादी कम 1 ता 12 बावजूद सूचना अनुपस्थित होने के कारण एकतरफा कार्यवाही अमल में लाई गई। मुताबिक जवाब सरकार अनुसार ग्राम आडागेला उर्फ हरिनगर के जमाबन्दी खाता सं0 32 में कुल किता 6 रकबा 15.24है0, रामावतार पुत्र धन्नालाल हि0 5/162 एवं खाता सं0 33 में ख0नं0 428 रकबा 3.43है0 रामावतार पुत्र धन्नालाल हि0 1/27 जाति मीणा सा0 देह के नाम दर्ज रिकॉर्ड है। जो संयुक्त खातेदारी है। मुताबिक पटवारी मौका रिपोर्ट अनुसार रामावतार पुत्र धन्नालाल एवं रामरतन पुत्र धन्नालाल जातियान मीणा निवासी आडागेला दोनों एक ही व्यक्ति है तथा वादी को रामावतार व रामरतन दोनों नामों से जाना जाता है। वादी की कृषि भूमि में वादी का नाम रामावतार एवं अन्य दस्तावेजों (आधार कार्ड, राशनकार्ड आदि) में रामरतन दर्ज है तथा ग्राम आडागेला उर्फ हरिनगर में वादी के अलावा अन्य कोई रामावतार पुत्र धन्नालाल जाति मीणा नामक व्यक्ति नहीं है। वाद में राज्य हित प्रभावित नहीं है।

वादी अधिवक्ता की बहस सुनी गई। बहस में दोहराए गए तथ्यों व पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजों का मनन व अवलोकन किया गया। मुताबिक तहसीलदार रिपोर्ट रामावतार पुत्र धन्नालाल एवं रामरतन पुत्र धन्नालाल जातियान मीणा निवासी आडागेला दोनों एक ही व्यक्ति है तथा वादी को रामावतार व रामरतन दोनों नामों से जाना जाता है तथा वादी की दस्तावेजों आधार कार्ड, राशनकार्ड में रामरतन दर्ज है। अतः वादी का वाद स्वीकार किया जाकर तहसीलदार पीपल्दा को आदेश दिया जाता है कि ग्राम आडागेला उर्फ हरिनगर के जमाबन्दी खाता सं0 32 में कुल किता 6 रकबा 15.24है0, रामावतार पुत्र धन्नालाल हि0 5/162 एवं खाता सं0 33 में ख0नं0 428 रकबा 3.43है0 रामावतार पुत्र धन्नालाल हि0 1/27 जाति मीणा में रामावतार के स्थान पर रतनलाल मीणा राजस्व रिकॉर्ड में अमल दरामद किया जावे। तद्नुसार डिक्री जारी हो।

उपखण्ड अधिकारी
इटावा जिला कोटा

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी इटावा जिला कोटा राज०

डिकी मुकदमा इब्तदाई
(आ 20 रूल 6–7 जाब्ता दीवानी)

अज अदालत उपखण्ड अधिकारी इटावा जिला कोटा
पीठासीन अधिकारी– हेमन्त कुमार घनघोर आर०ए०एस०

मिसल संख्या	तारीख दायरा	तारीख फैसला
12 / 2021	04 / 02 / 2021	

रामरतन पुत्र श्री धन्नालाल आयु 32 जाति मीणा नि. आडागैला उर्फ हरिनगर तह0 पीपल्दा जि० कोटा (राज0)

वादी

बनाम

1.केदारलाल पुत्र श्री राम किशन
2.केला बाई पत्नी श्री धन्नालाल
3.गंगाराम पुत्र धन्नालाल
4.गिर्राज पुत्र पन्नालाल
5.ब्रजराज पुत्र श्री धन्नालाल
6. बद्रीलाल पुत्र श्री कालुलाल
7.मौसमीबाई पुत्र श्री धन्नालाल
8.रघुनाथी पत्नी रामकिमान
9.राधाबाई पत्नी धन्नालाल
10.रामेश्वर पुत्र रामकिशन
11. लेखराज पुत्र श्री धन्नालाल
12 सुनीता पत्नी धन्नालाल जाति मीणा निवासी अड़ागैला उर्फ हरिनगर पो० ढीपरी चंबल तह पीपल्दा जि० कोटा (राज.)
13. राज० सरकार जरिये तहसील पीपल्दा जि० कोटा (राज.)

(प्रतिवादीगण)

वादी की ओर से उपस्थित अधिवक्ताः– श्री हरिमोहन मीणा एड0।
प्रतिवादीगण की ओर से उपस्थित अधिवक्ताः– एकतरफा।

वाद अन्तर्गत धारा 88 आर.टी.एक्ट एवं दुरुस्ती बाबत

निर्णय

यह मुकदमा आज वास्ते इनफिलाल कतई रूबरू बहाजिरी श्री हरिमोहन मीणा एडवोकेट मिनजानिब मुद्दई रूबरू................. मिनजानिब मुद्दालयह पेश होकर हुक्म दिया जाता है कि ग्राम आडागेला उर्फ हरिनगर के जमाबन्दी खाता सं0 32 में कुल किता 6 रकबा 15.24है0, रामावतार पुत्र धन्नालाल हि0 5/162 एवं खाता सं0 33 में ख0न0 428 रकबा 3.43है0 रामावतार पुत्र धन्नालाल हि0 1/27 जाति मीणा में रामावतार के स्थान पर रतनलाल मीणा राजस्व रिकॉर्ड में अमल दरामद किया जावे। तद्नुसार डिकी जारी की जाती है।

मिलान स्टाम्प अर्जी दावा			स्टाम्प अर्जी दावा		
मुद्दई	रूपये	पैसे	मुदायलह	रूपये	पैसे
स्टाम्प वकालतनामा			स्टाम्प अर्जी		
स्टाम्प वजूह सबूत			स्टाम्प अर्जी		
मेहनताना वकील			मेहनताना वकील		
खर्चा गवाहान			खर्चा गवाहान		
बाबत इजराय हुक्मनामा			बाबत इजराय हुक्मनामा		
मुत0			मुत0		
मिलान			मिलान		

डिकी मेरे दस्खत व मोहर से आज दिनांक .... को जारी किया गया। निर्णय खुले न्यायालय में लिखवाया जाकर सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी
इटावा जिला कोटा